

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 12(01)गृह-1/2017

जयपुर, दिनांक: 29.12.2020

:: संशोधित आदेश ::

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 21 के नियम 6(ए) में वर्णित प्रावधानानुसार, जो अभ्यर्थी अपराध विज्ञान (Criminology) में उपाधि (डिग्री) या डिप्लोमा या एन.सी.सी. का 'सी' सर्टिफिकेट धारक हैं या जिन्होंने डिग्री परीक्षा में पुलिस प्रशासन (Police Administration) एक विषय के रूप में लिया है, उन्हें पुलिस विभाग में उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती में साक्षात्कार हेतु निर्धारित 50 अंको में से तरजीह (Weight) दिये जाने के संबंध में जारी किये गये विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.12.2020 को प्रत्याहृत(Withdraw) किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हो

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. उप-कुलपति, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस(भर्ती), राजस्थान, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

29/12/2020
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस